अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जुलाई 2005 केवल सदस्यों के लिए मूल्य : 4 रुपये

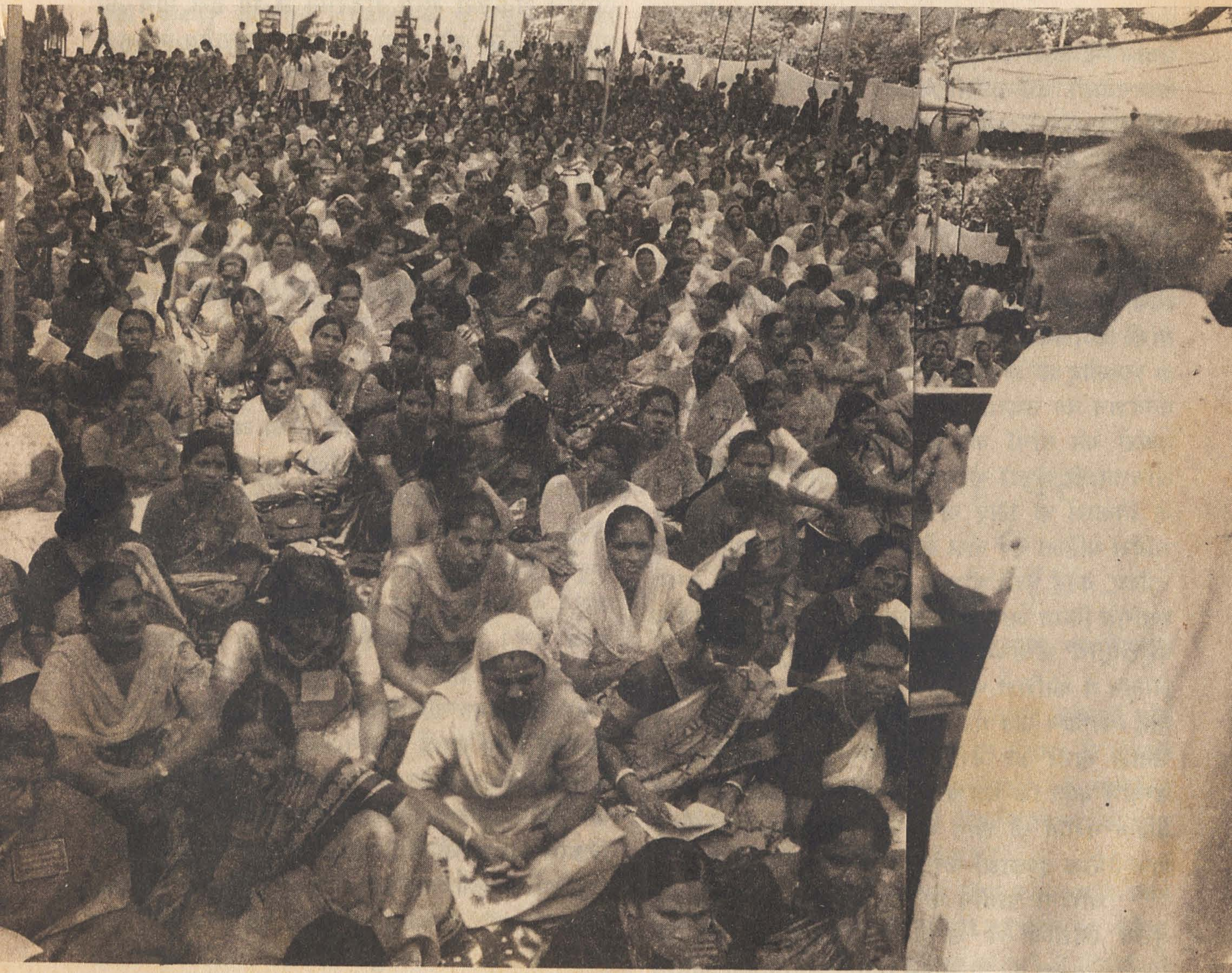

आईसीडीएस को नियमित करो!

आईसीडीएस के नियमितिकरण पर विशाल कन्वेंशन

विट्ठल भाई पटेल हाउस के मैदान में 26 अप्रैल,2005 को आंगनवाड़ी वर्करों के आई सी डी एस के नियमितिकरण के नारों से गूँज उठे जो कि अपने 30 वर्ष 2 अक्टूबर 2005 को पूरे करेगा।

आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर वी पी हाउस के मैदान में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए। ये आंगनवाड़ी वर्कर **AIFAWH** द्वारा आयोजित 26 अप्रैल,2005 को आइ सी डी एस के नियमितिकरण के कन्वेंशन में भाग लेने आए थे। ये वर्कर देश के दूरदराज के 20 राज्यों से आए थे जैसे केरल, तमिलनाडू, आसाम, त्रिपुरा, और जम्मू कश्मीर आदि/ वे अपने साथ मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह के लिए आइ सी डी एस के नियमितिकरण की मांगों के लिए हस्ताक्षर लाए थे।

सीटू के जनरल सेकेटरी चितब्रत मजूमदार ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया उन्होंने आंगनवाड़ी के वर्करों की मांगों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के वर्करों की सेवाएं देश के बच्चों के विकास के लिए जरूरी है उनके अनुसार कुछ सर्विस महिला एवं बाल विकास विभाग का अंग होना चाहिए, कोई ऐसी योजना नहीं जिसे किसी भी समय स्थगित किया जा सके। सरकार धनी वर्गो राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स में छूट दे रही है लेकिन ये कोशिशें भी काले धन को इकट्ठा नहीं कर पाई। लेकिन जब गरीबों के लाभ बढ़ रहे हैं सरकार सवाल खड़ा कर देती है कि " धन कहॉ है ?"। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न आर्थिक सहायता का नहीं बल्कि गरीबों के लाभ के प्रति निर्णय लेने के लिए राजनीतिक इच्छाओं का है।

योजना आयोग के मेंम्बर सैयद हमीद जो कि मुख्य अतिथि थे उन्होंने भी आइसीडीएस के नियमितिकरण को प्रोत्साहन दिया तथा योजना आयोग तथा सरकार के सामने रखने का वादा किया। जयति घोष (अर्थ शास्त्री) तथा बन्दना प्रसाद (जन स्वास्थय अभियान) ने भी कन्वेंशन को संबोधन कर आइ सी डी एस की नियमितिकरण की मांग को प्रोत्साहन दिया।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जनरल सेकेटरी सुधा सुंदरमन ने भी इस मांग को प्रोत्साहन दिया और कहा कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर एण्ड हेल्पर फेडरेशन के समवर्गीकरण की कोशिश देश के महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुँचाएंगी। आइ सी डी एस के लाभार्थी ज्यादातर गरीब और कृषि क्षेत्र के महिलाएं और बच्चे है। संगठन के प्रतिनिधि विजय राघवन (अखिल भारतीय एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन)के जनरल सेकेट्ररी, एन के शुक्ला (अखिल भारतीय किसान सभा) के सह सचिव ने कन्वेंशन में भाग लिया और महिला एवं बाल विकास विभाग से आइ सी डी एस के नियमितिकरण की मांग की । उन्होंने इस लड़ाई में सहारा दिया और आंगनवाड़ी वर्करों के नियमितिकरण के लिए संघर्ष किया। सी पी आई (एम) से संबधित सांसद के बहुत से सदस्य केरल से सति देवी और सुजाता, आन्ध्र प्रदेश से पी0 मधु व डा0 बाबू राव ने कहा कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाऐगें और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देगें। सी पी आई (एम) की पोलित ब्यूरो सदस्या वृंदा कारात ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संबोधित किया और अपने साथ एक करोड़ हस्ताक्षर लाने के लिए बधाई दी।

मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह डेलीगेशन को नहीं मिल पाए। डेलीगेशन को महिला एवं बाल विकास विभाग के सेकेटरी से शास्त्री भवन में मिलने के लिए कहा गया उनसे हस्ताक्षरों को लेने के लिए कहा गया और उनके द्वारा डेलिगेशन को बताया गया कि विभाग के अफसर कुछ भी नहीं है बल्कि वे गरीबों की इच्छाओं व आवश्यकताओं से घृणा करते है व उनकी हँसी उड़ाते हैं। वे इसे कबूल कर रहे है कि

इतने हस्ताक्षर जनंता की इच्छाओं को दर्शाते है जिस पर विचार होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी इसे केवल दो वर्ष पूर्व बढ़ाया गया है और बहुत सी जनता इस पर कार्य करने के लिए तैयार है। कैच कार्यकर्ता केवल 400/ रुपये प्रतिमाह वेतन पर कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों की आय पूरक होती है उनके परिवार में दूसरे सदस्य भी कमाते है इसलिए उन्हें कम वेतन की शिकायत नहीं करनी चाहिए। डेलिगेशन ने इसका कड़ा विरोध किया उनसे बहस न कर अपना कर्तब्य निभाने के लिए कहा।

आंगनवाड़ी वर्कर और हैल्पर जो डेलिगेशन के वापिस आने की प्रतिक्षा कर रहे थे सरकार के इस रवैये से कोधित हो गए । कन्वेंशन ने उनके इस व्यवहार की निंदा की और आइ सी डी एस के नियमितिकरण के लिए संघर्ष का प्रण लिया और संघर्ष को आने वाले दिनों में जारी रखने का निश्चय किया।

प्रारंभिक असहमति के बाद जायंट सेकटरी ने कहा कि स्थान की व्यवस्था कर हस्ताक्षर ले लेगें लेकिन डलिगेशन जाने के बाद एक कामरेड के हाथ से हस्ताक्षर लेकर जायंट सेकेट्ररी ने पैकेट लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि कार्यालय में स्थान नहीं है फेडरेशन ने सीनियर अफसर के खिलाफ मानव संसाधन मंत्री से शिकायत की, जब वे उनसे अगले दिन मिले उन्होंने इन पैकेटों को सी आइ टी यू कार्यालय से ले लेने के लिए कहा।

डेलीगेशन ने आइ सी डी एस के नियमितिकरण के (मांगपत्र) उनके पास जमा करवा दिए। उन्होनं कहा कि पहले आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं और हैल्परों का वेतन 2500/रुपये और 1500/रुपये प्रतिमाह बढ़ाया गया था सामाजिक सुरक्षा लाभ, तथा सरकारी कर्मचारियों के समान मेडिकल लीव दी गई थी। मंत्री ने हस्ताक्षरों को एकत्रित करने और उनकी मांगों को केन्द्र के समक्ष रखने का वादा किया।

फेडरेशन ने अपने सभी राज्यों की कमेटियों को अपने मांगे टेलीग्राम (तार) द्वारा प्रधानमंत्री को मानव संसाधन विकास मंत्री को भेजने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए लोकल डिस्ट्रक्ट और राज्य स्तर के लाभार्थियों को बुलाया। राज्य कमेटी ने सेकेट्ररी व जायंट सेकेट्ररी के अपमानित व्यवहार के लिए टेलीग्राम भेजें।

आइ सी डी एस के नियमितिकरण पर राज्य कन्वेंशन

पश्चिम बंगाल

आइ सी डी एस के नियमितिकरण की मांग पर 23 अप्रैल,2005 को कोलकाता में श्रमिक भवन के (सीटू) हाल में राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुआ। 500 से अधिक आंगनवाड़ी वर्करस और हैल्पर ने इस कन्वेंशन में भाग लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भागीदारी आशा से अधिक अच्छा था। परिणाम स्वरूप हाल पूरी तरह भर गया तथा काफी कार्यकर्ता हाल के बाहर खड़े थे।

कन्वेंशन का नेतृत्व आई सी डी एस कर्मी संघ (पश्चिम बंगाल) की अध्यक्ष निरूपमा चटर्जी ने किया। यूनियन की जनरल सेकेटरी रत्ना दत्ता ने आई सी डी एस के नियमितिकरण के लिए मांग का निश्चय किया।

कन्वेंशन के मुख्य अतिथि श्यामल चकवर्ती और काली घोष (राज्य कमेटी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष तथा जनरल सेकेटरी) ने कन्वेंशन को संबोधित किया तथा आई सी डी एस के नियमितिकरण के लिए सीटू के संघर्ष को सहारा दिया।

(आल इंडिया फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एण्ड हैल्पर) की अध्यक्षा निलिमा मइत्रा ने 26 अप्रैल, 2005 के ' आल इंडिया कन्वेंशन के बारे में रिपोर्ट दी और जनता से बड़ी संख्या में इसमें भाग लेने की अपील की। जिला कमेटी से आरती दास गुप्ता, मनीषा चकवर्ती, मोलिना घोष तथा कुछ अन्य नेताओं ने इस

बारे में बोला।

कन्वेंशन में जनरल सेक्रेटरी द्वार आइ सी डी एस के नियमितिकरण की मांग की गई तथा 2,500/रुपये मासिक वर्करस तथा तथा 1,500/रुपये हैल्परों को वेतन बढ़ाने, पेंशन, मेडिकल लीव की मांग की गई तथा आइ सी डी एस के निजिकरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की निश्चय किया।

छत्तीसगढ़

ग्राम पंचायत द्वारा छत्तीसगढ़ के तेंदूनला गॉव (डोगरगॉव) के राजनन्द गॉव डिस्ट्रीक्ट की आंगनवाड़ी कर्मचारी अन्नू ठाकुर को गैर कानूनी ढंग से उसकी नौकरी से हटाया गया ऐसी ही एक और आंगनवाड़ी कर्मचारी रामकुमारी (गॉव सालिक झिटिया) को भी अकारण उसकी नौकरी से हटाया गया जबकि उसे मुख्य मंत्री अजित जोगी द्वारा ' बैस्ट आंगनवाड़ी वर्कर ' का ईनाम दिया गया था।

छत्तीसगढ़ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने इस केस को उठाया और गैर कानूनी ढंग से नौकरी से निष्क्रीय किए जाने के खिलाफ धरना दिया। यूनियन ने कुछ राज्य स्तर की मांगों को भी उठाया सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरने में भाग लिया। यह धरना सीटू की राज्य कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एम के नन्दी द्वारा संबोधित किया गया उन्होंने यह मुद्दा डिस्ट्रीक्ट कलैक्टर और डिस्ट्रीक्ट प्रोग्राम आफिसर के समक्ष उठाया। संबंधित आंगनवाड़ी वर्करस ने यह मामला अदालत में उठाया और कोर्ट से आर्डर लिए।

यूनियन की राज्य कमेटी 20 मार्च,2005 को मिले और महिला एवं बाल विकास मंत्री को 5 मांगे देने का निश्चय किया। इस तरह एक मीटिंग डोंगरगॉव में आयोजित की गई जिसमें 10 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया और सी डी पा ओ को अपने मैमोरेंडम जमा करवाएं। 19 अप्रैल,2005 को डोंगरगॉव के सी डी पी ओ को एक डेलीगेशन अपने मेमोरेंडम जमा करवाने के लिए मिली। सी डी पी ओ ने इस मैमोरेंडम को सरकार के समक्ष रखने का वादा किया।

आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन द्वारा प्रदर्शन:

पंजाब: 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जालंधर रेलवे स्टेशन के मैदान में पूरे पंजाब से हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारी और हैल्पर इकट्ठा हुए और उन्होंने राज्य सरकार से जल्दी से जल्दी आंगनवाड़ी कर्मचारियों व हैल्परों का वेतन 300/रुपये प्रतिमाह बढ़ाने के वादे को पूरा करने की मांग की और आंगनवाड़ी केन्द्रों को पंचायतों को

सौंपने के आदेश को वापिस लेने की भी मांग की और पंचायत प्रधान के आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यो में अनुचित हस्तक्षेप को रोकने की मांग की यह प्रदर्शन पंजाब के आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन द्वारा जालंधर में आयोजित किया गया था।

इस प्रदर्शन की रैली का नेतृत्व यूनियन की अध यक्ष कामरेड हरगोविंद कौर ने किया । सरकार द्वारा अपने एक वर्ष बाद भी वेतन बढ़ाने के वादे को पूरा न करने के लिए आलोचना की। हरगोविंद कौर ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि यह वादा तुरन्त पूरा न हुआ तो यूनियन कड़ा संघर्ष करेगी। यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हरजीत कौर,फाइनेंस सेक्रेटरी ऊषा रानी सुभाष रानी और बहुत से दूसरे नेताओं ने रैली को संबोधित किया।

रैली के बाद आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों के नारो के साथ जालंधर बाजार में फौजी छावनी में मार्च किया।

बिहार राज्य बीड़ी सम्मेलन

बिहार के बेगूसराय जिला के मंसूर चाक पर बिहार राज्य बीड़ी मजदूर यूनियन (सीटू) का तीसरी राज्य सम्मेलन 16 तथा 17 अप्रैल,2005 को हुई। मंसूर चाके में लोगों का मुख्य व्यवसाय बीड़ी बनाना व मिट्टी की वस्तुएं बनाना है। लेकिन दोनों ही उद्योग हट रहे है। महिलाएं व पुरूष दोनों ही बीड़ी बनाते है तथा बेगूसराय जिला में बीड़ी मजदूरों के चुनौतीपूर्ण संघर्षो का लंबा इतिहास है जिसमें बहुत से वर्कर्स ने बलिदान दिया। यहाँ बीडियां एस० के० नसरूद्दीन कंपनी के लिए बनाकर कोलकाता तथा बिहार के दूसरे भागों में बेची जाती है।

सम्मेलन की शुरूआत एक विद्यालय की ऊँची इमारत पर झंडा फहराकर हुई तथा उसके बाद शहर के मुख्य बाजार में सार्वजनिक मीटिंग हुई इस मीटिंग की संबोधन " आल इंडिया बीड़ी वर्कर फेडरेशन " के महासचिव मो० निजामुद्दीन, बेगूसराय में सी पी आई (एम) के पूर्व एम एल ए राजेन्द्र सिंह तथा उपाध्यक्ष सरीता सिन्हा सीटू की बिहार राज्य कमेटी के महासचिव अरूण मिश्रा व सीटू की जनरल काउन्सिल मेम्बर रंजना निरूला ने किया।

बिहार के 8 जिलों के डेलीगेट सम्मेलन में शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता गणेश शंकर सिंह, सरीता सिन्हा तथा रूपा देवी ने की। रंजना निरूला अपने भाषण में बीडी वर्कर्स के काम व रहन सहन के स्तर पर दरिद्रता में बढ़ावा असुरक्षिततता तथा यू पी ए सरकार की नई उदारीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप रोजगार के खोने पर बोलीं। उन्होंने बीड़ी वर्कर्स के संगठित विभागों की आवश्यकताओं तथा यूनियन की महिलाओं को तामिल देने तथा उन्हें यूनियन के ऊँचे स्तर पर लाने पर जोर दिया।

शिव शंकर सिंह ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की जो कि बीड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए संघर्षो के बारे में थी। उन्होंने बताया कि यूनियन बिहार में 68,000 बीड़ी वर्कर्स के पहचान पत्र बनवाने में सफल हो रही है इससे पूर्व जब हजारों महिलाएं एकत्रित होकर अपने पहचान पत्र बनवाने गई तब झगड़े में एक गर्भवती महिला (बीड़ी वर्कर) मारी गई। तब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें हजारों बीड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया उन्होंने कहा कि पहचान पत्रों का विषय सभी राज्यों में ऊपर ले जाया जाएगा तथा बीड़ी कार्यकर्ताओं के लाभों को लिए संघर्ष जारी रखा जाएगा।

सन् 2004 में यूनियन की सदस्यता 5,000 से अधिक थी तथा सन् 2005 में इसके 10,000 होने की आशा थी। बहुत से डेलीगेट जब रिपोर्ट पर बोल रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने खोए हुए काम वापिस पाए है। कदाचित एक सप्ताह में सिर्फ 2–3 दिन के लिए, इसे उनकी आय कम हुई है। फूलवा देवी ने कहा कि उन्हें 1,000 बीड़ी बनाने के लिए सिर्फ 14 रूपये मिलते है। तथा उनके दो बेटे (कन्सट्रक्शन साइट) पर कार्य कर 200 रूपये लाते है। जो कि उनके जामुई से सम्मेलन में आने के लिए पूरे नहीं पड़ते । वह अपने पड़ोसी के पास अपने बच्चे को छोड़कर आई तथा उसके लिए चिंतित थी। 17 डेलीगेट जिनमें पॉच महिलाएं शामिल थी ने यूनियन की कठिनाइयों पर सलाहें तथा यूनियन की एकता के बारे में रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया। एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें गणेश शंकर सिंह को अध्यक्षा तथा शिव

शंकर सिंह को महासचिव चुना गया।

अरूण मिश्रा अपने भाषण में संगठन में महिलाओं की भूमिका के बारे में यूनियन की कमजोरियों के बारे में बोले जिनके साथ उनके निम्न स्तर के कारण दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है उन्होंने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं का नेताओं की तरह विकास करना आवश्यक है न कि केवल प्रदर्शन के लिए एकत्रित करना। उन्होंने सम्मेलन में विश्वास दिलाया कि सीटू कार्यकर्ताओं को उनके अधिकारों के संघर्ष के लिए संगठित करना जारी रखेगी। तथा उनके स्तर में बदलाव लाएगी। सम्मेलन का समापन 'हम संघर्ष करेंगे, हम जीतेगे' 'पूँजीवाद समाप्त करो 'इंकलाब जिन्दाबाद' सी आइ टी यू जिन्दाबाद जैसे नारों से हुआ।

पुलिस का शकुन्तला वर्मा को सताना

मध्य प्रदेश की धर जिले की आइ सी डी एस सुपरवाइजर शकुन्तला वर्मा जिन पर बाल विवाह को रोकने के दौरान घातक हमला हुआ। इस समय इन्दौर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस प्रतिदिन पूछताछ का बहाना कर उनके पास जाकर उनका उत्पीड़न कर रही है। जब कि पुलिस को उनके दोषियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। चौंकाने वाली यह बात है कि पुलिस द्वारा शकुन्तला वर्मा के चरित्र को गलत बताने की कोशिश गई की तथा हमले के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया।

यह भी चौंकाने वाली बात है कि मध्य प्रदेश राज्य के महिला आयोग की मुख्या श्रीमती रेलभ चौहान यह बात जनता में फैला रही है कि शकुन्तला वर्मा का केस " बाल विवाह " का नही बल्कि " प्रेम विवाह " का है। यदि राज्य महिला आयेाग की मुख्या का यह व्यवहार है तो यह बात साफ है कि शकुन्तला वर्मा को बाहरी सहायता के बिना न्याय नहीं मिल सकता। " आल इंडिया फेडेरशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स की महासचिव के हेमलता, एडवा की महासचिव सुधा सुब्रमनियम, " आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किग वुमन (सीटू) की रंजना निरूला के एक डेलीगेशन बनाकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या मालिनी भट्टाचार्य तथा एन सी डब्लयू की चेयरपर्सन डा0 गिरीजा व्यास से मिले तथा अपने मांगपत्र जमा कराए। डेलीगेशन ने एन सी डब्लयू से मामले की जॉच की प्रार्थना की तब शकुन्तला वर्मा का उत्पीड़न रूका। मामले की जॉच की गई तथा दोषी को सजा दी गई। डेलीगेशन को विश्वास है कि एन सी डब्लयू जो जरूरी होगा करेगी।

करीब दस वर्ष पूर्व बनवारी देवी राजस्थान में रहती थी जो अब मध्य प्रदेश में शकुन्तला वर्मा है। बनवारी देवी महिला सामख्या प्रोग्राम की एक साथिन थी जिसमें उन्होंने एक गॉव में बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। ऊँची जाति के लोगों द्वारा उन पर हमला व सामूहिक बलात्कार हुआ। शकुन्तला वर्मा 'इंटिगेटिड बाल विवाह सर्विस स्कीम ' की सुपरवाइजर है उन्होंने धर डिस्ट्रीक्ट के भानगढ़ गॉव में हुए बाल विवाह के बारे में वहॉ के एस डी एम से पूछा। जब वे गॉव का दौरा कर रही थी उन्हें धमकाया गया। अपने किराए के घर में रहेने के दौरान उन पर अनजान व्यक्तियों द्वारा हमला हुआ। उनका सिर व दोनों हाथ हमॅले में बुरी तरह से घायल हो गए।

हिन्दी राज्यों से सैकड़ों हजारों बच्चे अखा तीज या अक्षय तृतीय पर आए। यद्यपि कानूनन बाल विवाह पर प्रतिबंध है परन्तु फिर भी बहुत से पार्टियों के नेता मंत्री आदि बहुत जोश के साथ नवविवाहित बाल जोड़े को आर्शीवाद देने पहुँचते है । उन्होंने यह ज़िम्मेदारी डिस्ट्रीक्ट कलैक्टर सीनियर पुलिस आफिसर जो कि कानून के रक्षक माने जाते है, को नहीं दी। बल्कि बाल विवाह को रोकने की जिम्मेदारी गरीब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा हैल्परों को दे दी गई जो कि सरकारी कर्मचारी भी नहीं है तथा इसे रोकने के लिए उनके पास कोई अधिकार या शक्ति भी नहीं है। उनमें से कई समाज सताए हुए है और इस बुराई के खिलाफ समाज का सामना करने की स्थिति में नहीं है। बाल विवाह को रोकने का कार्य आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स का नहीं है।

सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए गम्भीर नहीं है इस समाजिक बुराई को जाने बिना सरकार आसानी से इन आदेशों को (बाल विवाह को रोकने के आदेश) आइ सी डी एस स्टाफ को अपने गॉवों में रोकने के लिए दे देती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं

हैल्पर्स पर गैर संबंधित अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जाती है क्योंकि उनका जनता के साथ नजदीकी रिशता होता है। इस वर्ष महिला एवं विकास के कमिशनर ने सभी राज्यों के आंगनवाड़ी वर्कर्स एंव हैल्पर्स को पत्र लिखकर सूचित किया कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी अखातीज अवसर पर उन्हें दे दी गई है। यह भूमिका थी जिसमें शकुन्तला वर्मा ने गॉवों में बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। इस जिम्मेदारी को उठाने की बजाय ऐसे मुद्दों को एक तरफ करने की कोशिश की है। महिला एवं बाल विवाह के मंत्री ने इस हमले की नीजी शत्रुता कहा व डिस्ट्रीक्ट कलैक्टर ने इसे ' जादू टोना ' (काला जादू) कहा । इस हमले के बाद जनता ने इस हमले के खिलाफ शोर गुल किया। हजारों लोग सरकार के इस व्यवहार की निन्दा करते हुए सड़को पर आ गए तथा सरकार से शकुन्तला वर्मा के इलाज की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा। दोषी को एक सप्ताह बाद पकड़ा गया।

सी आइ टी यू, एडवा, तथा आंगनवाड़ी सेविका एकता यूनियन (मध्य प्रदेश)की मध्य प्रदेश राज्य कमेटियों ने हमले की कड़ी निन्दा की । ' आल इंडिया फेडरेशन आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स ' की अध्यक्ष निलिमा मइत्रा तथा महासचिव हेमलता भीड़ के साथ गए जहॅा शकुन्तला वर्मा को इलाज के लिए रखा गया था तथा उन्होंने कमिशनर के आफिस के सामने हुए प्रदर्शन में भी भाग लिया। ' प्रेस' से मिलकर उन्होंने मांग की कि आदेश पत्र का तुरन्त वापस लिया जाए तथा बाल विवाह को रोकने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जब तक शकुन्तला वर्मा पूरी तरह से ठीक न हो जाए सरकार को उनके मेडिकल खर्चे का वहन करना चाहिए। तथा दोषियों को सजा दी जानी चाहिए।

करनाल (हरियाणा) कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ आंगनवाड़ी यूनियन का विरोध

मध्य प्रदेश की धर जिले की आइ सी डी एस सुपरवाइजर शकुन्तला वर्मा पर जब वह अपने गॉव में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयासरत थी, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हुए घातक हमले ने पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में कोध फैलाया।

' आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स ' के कहने पर पूरे देश में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को हमले की निन्दा करते हुए तार भेजे गए। हरियाणा राज्य के करनाल जिले की समितियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा हैल्पर्स यूनियन के साथ एडवा तथा सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को विरोधी पत्र भेजे। उन्होंने राजस्थान में महिलाओं की सती प्रथा की भी निन्दा की।

जब संगठन इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जनता के विचार ले रहे थे हरियाणा राज्य भी सामने आया। 16 मई,2005 को करनाल के रेहारा गॉव में एक आंगनवाड़ी वर्कर सुदेश कुमारी, पर जब पल्स पोलियो अभियान के दौरान बच्चों को पोलियो की खुराक दे रही थी, असामजिक तत्व द्वारा हमला हुआ। हैल्पर्स के हमलावार श्री सुभाष को रोकने पर उस पर भी हमला किया गया। एडवा, बी जी वी एस तथा एस के एस के साथ आंगनवाड़ी यूनियन ने 28 मई,2005 को करनाल में एक विरोधी प्रदर्शन आयोजित किया। हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लियां यूनियन ने दोषी को तुरन्त गिरफ्तार करने तथा आई सी डी एस कर्मचारियों को उनके यह कर्तव्य हटाकर सुरक्षा देने की मांग की।

कर्ण पार्क में एक मीटिंग हुई जिसका संबोधन एडवा की अनु अबरोल, आंगनवाड़ी यूनियन की जिला अध्यक्ष नगनी देवी, वी जी वी एस के उद्यम सिंह राठी तथा एस के एस के वी डी यादव ने किया। नेताओं ने हमले की निन्दा की तथा जिला प्रशासन से तुरंत कार्यवाही करने की मांग की । उन्होंने जिला अधिकारियों के पास अपने मांगपत्र जमा करवाए। उन्होंने बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई को दोहराया। उन्होंने सरकार को इन सामाजिक बुराइयों को रोकने तथा आइ सी डी एस कर्मचारियों को सुरक्षा देने के कर्तव्यों को याद दिलाया।

रीवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट के विरोध में धरना

रीवाः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन (सीटू) एवं जनवादी महिला समिति ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत महिलाओं के उत्पीड़न एवं पल्स पोलियो अभियान के दौरान श्रीमती सत्यवती अवधिया के साथ मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और ज्ञापन सौंपा इस कलेक्टर ने ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। धरने का नेतृत्व सी आइ टी यू की जिला समिति के महासचिव कामरेड विद्याशंकर मुफालिस तथा आंगनवाड़ी यूनियन की सचिव कामरेड किशोरी वर्मा ने किया।

ज्ञापन में मांग की गई कि गत माह पल्स पोलियो अभियान के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती अवधिया के साथ ढेकहा में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई लेकिन अपराधी के विरूद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है महिलाओं ने मांग की है कि मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ–साथ ऐसे कार्यों में महिला कार्यकर्ताओं के घर–घर जाने की प्रथा बंद की जाए। मारपीट के बाद आंगनवाड़ी की महिलाएं इस धटना से भयभीत है। ज्ञापन में कहा गया है कि लोक निर्माण विभागग कम संख्या –2 उप संभाग कम संख्या–5 सेक्शन जिगना के उपमंत्री द्वारा अपने अधीनस्थ कार्य करने वाली तीन महिला मजदूरों को अपने घर बुलाया गया। अधिकारी घर काम करने नहीं जाने पर कार्य करने के बावजूद उन्हें अनुपस्थित करके पंद्रह–पंद्रह दिनों का वेतन काट लिया गया।

इस तरह की मनमानी की जॉच कराई जाए ताकि महिला मजदूरों का शोषण बंद हो सके। धरना देकर ज्ञापन सौपने वाली महिलाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन की जिला अध्यक्ष सावित्री शुक्ला, महासचिव फूलवसी नामदेव, बदरूनिशा,सत्यवती अवधिया शहरूनिशा भी शामिल थीं।

कासारगोड में कामगार महिला समन्वय समिति

कासारगोड की सांतवी कामगार महिला समन्वय समिति सम्मेलन कासारगोड (केरल) में 6 मार्च, 2005 को हुई।

97 डेलीगेशन ने प्रतिनिधित्व किया तथा बीड़ी, भवन निर्माण, प्लांटेशन, खादी उद्योग, आंगनवाड़ी (सीटू) विद्यालय अध्यापिका (के एस टी एन ए) राज्य सरकार कर्मचारी (एन जी ओ यू), नर्से (के जी एन ए) पंचायत (के नी ई ए) एन एफ पी ई तथा बी एस एन एल ई यू ने सम्मेलन में भाग लिया। सीटू की अखिल भारतीय उपाध्यक्ष जे मेसिकुट्टी अम्मा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। जिला सचिव वी वी प्रसेन्न कुमारी द्वारा काम की रिपोर्ट पेश की गई।

बीड़ी से सौमिनी आंगनवाड़ी से पद्मिनी, के एस टी ए से सुषमा, के पी ई ए से गीता, के पी एन ए से इन्दिरा तथ एन जी ओ यू से सुकुमारी ने बहस में भाग लिया। सीटू के जिला महासचिव पी राघवन तथा जिला खजाची थपन नैयन ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन ने पेटेंट कानून के विरूद्ध व्यापारिक उद्यागों को संकट काल या अन्य विषयों का सामना करने के लिए जगाने का निश्चय किया।

एक 30 सदस्यों की जिला कमेटी का गठन किया गया जिसमें कार्यकारिणी को अध यक्ष तथा पी डी श्री देवी को सचिव चुना गया।

कमेटी की महिलाओं की सहमति से भाविष्यिक कार्यकमों में भवन निर्माण, प्लांटेशन तथा मत्स्य क्षेत्रों की मुख्य महिलाओं की सभाएं शामिल की गई।

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय सम्मेलन

मावलंकर सभागार, नई दिल्ली

9 जुलाई, 2005

घोषणापत्र का प्रारूप

नई दिल्ली में 9 जुलाई 2005 को हो रही ट्रेड यूनियनों की यह राष्ट्रीय कन्वेंशन जिसमें ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के घटकों के प्रतिनिधि भारी संख्या में भाग ले रहे हैं, भारत के मजदूर वर्ग के सामने खड़ी हुई वर्तमान चुनौतियों का जायजा लेते हुए निम्नलिखित घोषणा पारित करती है।

भारत के मजदूर वर्ग ने 2004 के आम चुनावों के परिणामों जिनके फलस्वरूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सत्ता के बाहर हो गयी थी का स्वागत किया था। जिसका सत्ता में कार्यकाल मजदूर वर्ग समेत भारतीय समाज के सभी हिस्सों के लिए केवल कुछ बहुत अमीर लोगों को छोड़कर विनाशकारी रहा था।

भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने लगभग 6 वर्ष के शासन में देश की बुनियादी समस्याओं को हल करने में पूरी तरह विफल रही। वह मंदी पर रोक लगाने, निवेश की दर को ऊंचा उठाने, रोजगारों को बढ़ाने, गरीबी कम करना सुनिश्चित करने, आम जनता के फायदे के लिए ऊंची वृद्धि और आर्थिक विकास लाने में पूरी तरह विफल रही। यहां तक कि वह लाखों भूखे लोगों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने में भी विपल रही। इसने बहुर्राष्ट्रीय निगमों को घरेलू बचतों तक काफी पहुंच प्रदान की और विशाल गरीब जनता जो बदहाली के कगार पर है, के पक्ष में अर्थव्यवस्था में राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप करने की क्षमता को कमजोर किया। इस पृष्ठभूमि में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने मई 2004 में केंद्र में सत्ता संभाली।

देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हड़ताल के अधिकार के खिलाफ की गई घोषणा की निंदा की और मांग की कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के हानिकारक प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने के लिए उचित कदम उठाये।

पिछले कई सालों में देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र यूनियनों तथा फेडरेशनों ने देशभर में तथा विभिन्न क्षेत्रों में इन नीतियों के खिलाफ अभियानों और लंबे संघर्षों को चलाने में संयुक्त रूप से कदम बढ़ाये हैं।

इस पृष्ठभूमि में मजदूर वर्ग ने यूपीए सरकार से यह उम्मीद की थी कि वह बिना देरी किये देश के पीड़ित मजदूर वर्ग को तुरंत राहत पहुंचाने के काम को अंजाम देंगे। उन्होंने यूपीए सरकार से यह भी उम्मीद की थी कि वह आर्थिक नीतियों में जन पक्षीय बदलाव लाने के काम को शुरू करेगी।

यूपीए सरकार ने एक राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित किया जिसमें इसके प्रत्यक्ष सुधार समर्थक रुख के बावजूद कुछ जनपक्षीय उपायों को लागू करने के वायदे थे किंतु यूपीए सरकार का पिछले 14 माह के कार्यकाल का रिकार्ड अपेक्षाकृत निराशाजनक ही है।

हालांकि यूपीए सरकार ने पक्का वायदा किया है 'कि हमारे देश में श्रम और प्रबंधन के बीच संबंध सलाह मशवरे, सहयोग और सर्वसम्मति के होंगे न कि टकराव के।' और 'उनसे सम्बन्धित सभी प्रस्तावों पर ट्रेड यूनियनों तथा उद्योग के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श की प्रक्रिया का सक्रियता से पालन जाएगा।' ट्रेड यूनियनों के साथ कोई भी सलाह-मशविरा किये बिना कई एक तरफा और मनमाने कदम उठाये गये हैं जो मजदूर वर्ग के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं।

यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में उच्च त्रिपक्षीय मंचों जैसे भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया है।

यह वायदा कि यूपीए प्रशासन न्यूनतम वेतन की गारंटी के लिए एक व्यापक कानून बनायेगा और खेत मजदूरों की विशाल संख्या को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

हालांकि सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कल्याण और खुशहाली सुनिश्चित करने की बयानबाजी करती रही है वह सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की असंगठित क्षेत्र मजदूर विधेयक पारित करने की सर्वसम्मत मांग के प्रति उनके द्वारा सुझाए गये सुधारों को शामिल करते हुए लागू करने में विफल रही है।

सरकार रोजगारहीन वृद्धि की परिघटना को उलटने की दुहाई देती रही है और यह कहती रही है कि प्रस्तावित रोजगार गारंटी कानून 'समाज के सबसे गरीब हिस्सों को आय की सुरक्षा प्रदान करने का साधन होगा।' किन्तु यह एक तथ्य है कि संसद में पेश किया गया विधेयक जो संसदीय समिति के पास लंबित है वह राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के मसविदे का एक बहुत हल्का किया गया रूप है और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किये गये वायदे का भी मखौल मात्र है।

'एक मजबूत और प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र' के घोषित वायदे के बावजूद तथा यह कि 'लाभ कमाने वाली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा' सरकार ने विनिवेश के जरिए लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उद्यम की इकाइयों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसने वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के विचार को ही पुनर्परिभाषित करके सरकार के 'पूरे स्वामित्व' से बदलकर '51 प्रतिशत सरकारी हिस्सा' कर दिया है। वित्त मंत्री की ऐसे कदमों को सामाजिक क्षेत्र में व्यय और बीमार सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के पुनर्उद्धार के लिए संसाधन जुटाने हेतु आवश्यक कदमों के रूप में उचित ठहराने की कोशिश निंदनीय है। इससे जनकल्याण के कार्यों के खर्च के लिए बजट और कराधान के उपायों के माध्यम से संसाधन जुटाने की सरकार की जिम्मेदारी को त्यागने की सोच जाहिर होती है।

जब से यूपीए सरकार सत्ता में आई है उसने चार अवसरों पर पैट्रोलियम उत्पादों के दामों में वृद्धि करके आम आदमी पर बोझ बढ़ाया है। जनता पर बोझ डालने से बचने के लिए तेल पर से उत्पाद शुल्क घटाने, 50 पैसे के अतिरिक्त सड़क उपकर को त्यागने तथा इसी तरह के दूसरे उपाय करने के बार-बार तर्क दिये जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

हाल ही में श्रम मंत्रालय ने एक प्रेस वक्तव्य में यह संकेत दिया है कि वह 'औद्योगिक कानून के तहत प्रतिष्ठानों के लिए छंटनी / लेऑफ हेतु सरकारी अनुमति लेने के लिए छूट की सीमा को 100 कर्मचारियों को रोजगार पर रखने वालों से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों को रोजगार पर रखने वालों तक करने की तत्परता दिखाई है।' इससे 90 प्रतिशत से भी अधिक प्रतिष्ठान 'हायर एंड फायर व्यवस्था' के तहत आ जाएंगे। यह दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की बदनाम रिपोर्ट की सिफारिश जिस पर भारी असंतोष है को पुनर्जीवित करना है! यहां फिर राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किये गये वायदे कि 'हायर एंड फायर की व्यवस्था' को खारिज किया जाएगा तथा 'औद्योगिक विवाद कानून को श्रम कानूनों की फिर से जांच, प्रक्रियाओं को अनुकूल और धारारेखीय बनाने' के दायरे से बाहर रखा जायेगा, को बेतकलुफ़ी के साथ त्याग दिया गया है!

'इंस्पेक्टर राज' खत्म करने के नाम पर सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने की अपनी जिम्मेदारी को ही त्याग दिया है तथा सेवायोजकों को मजदूरों के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हुए हरेक नियम और कानूनों की अवहेलना करने की इजाजत दे दी गयी है। ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग इतना अधिक बढ़ गया है कि मजदूर वर्ग के सामने रोजगार के स्थायित्व और सुरक्षा के पूरी तरह खतम हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। सरकारी रोजगारों में भर्ती पर प्रतिबंध वर्षों से जारी है जिसका कोई अंत नहीं है और श्रम शक्ति का डाउनसाइजिंग 21वीं सदी के भारत का मंत्र बन गया है! इससे रोजगार की गुणवत्तता में गिरावट आ रही है।

देशभर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों में चौकाने वाली वृद्धि हुई है सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 1997 में ही महिला मजदूरों को काम के स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक कानून बनाने हेतु सिफारिशें और गाइडलाइनें जारी की थीं। इस पर सरकार का ध्यान जाना अभी बाकी है।

सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए हड़ताल के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने की पहल करना अभी बाकी है।

पांचवें वेतन आयोग की कार्रवाई की अवधि के समाप्त होने के काफी समय बाद भी सरकार आयोग की विशेष सिफारिश की अनदेखी करते हुए छठे वेतन अयोग के गठन से बेरुखी के साथ इंकार कर रही है।

बोनस कानून के वर्तमान प्रावधानों में जिसमें बोनस की पात्रता और गणना के लिए आय की सीमा दी गयी है, वास्तव में बड़ी संख्या में मजदूरों को, लगभग तमाम असंगठित क्षेत्र को बोनस कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है। फिर भी सरकार कानून में संशोधन करने के मूड में नहीं है।

सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत पेंशन फंडों को स्थापित, नियमित और विकसित करने के लिए एक पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश का सहारा लिया। यह पेंशन फंडों का एकदम निजीकरण करना है और अशंदानों को सट्टाबाजार की तरफ मोड़ना है। इसके अलावा यूपीए सरकार के वित्तमंत्री ने 2005-06 के बजट में 'पेंशन क्षेत्र' को खुदरा व्यापार और खनन क्षेत्रों सहित विदेशी सीधे निवेश (एफडीआइ) के लिए खोलने की घोषणा की है!

सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में बहुमत फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कम करने का कदम उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बाद में ब्याज दर को 9.5 प्रतिशत पर बहाल करने के लिए हस्तक्षेप किया। उस आश्वासन में भी बंद हुए प्रतिष्ठानों के डिफाल्टर सेवायोजकों के भविष्यनिधि देयों के तय किये जाने हेतु निर्धारित विशेष आरक्षित कोष में गोता लगाकर कुछ फेरबदल किया गया है। सरकार ने विशेष जमा योजना (एसडीएस), जीपीएफ, सीएमपीएफ, पीपीएफ, लघु बचतों आदि पर ब्याज दर को कटौती करके 8 प्रतिशत कर दिया है।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 गैर सरकारी कर्मचारी और मजदूरों के लिए एकमात्र परिभाषित लाभ पेशन योजना है। श्रम मंत्रालय ने मजदूर वर्ग की बेहतर लाभों की आकांक्षाओं के खिलाफ योजना के तहत लाभ पैकेज में कटौती के उद्देश्य से कदम उठाये हैं।

सरकार विदेशी निवेशकों के भारी प्रवेश के लिए दरवाजों को चौपट खोल रही है, जो सभी क्षेत्रों में पैर पसारने के लिए उत्सुक हैं। नागरिक उड्डयन, दूर संचार, बीमा, बैंकिंग आदि को लक्ष्य बनाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भारी विलय की एकतरफा घोषणाओं के प्रति उद्योग में तमाम श्रम शक्ति के संयुक्त विरोध की आवाज को किनारे करने की कोशिश की गयी है। यहां तक कि प्रतिरक्षा क्षेत्र में भी उत्पादन इकाइयों को नैगमीकरण के रास्ते से निजीकरण करने के लिए रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कंपनियों के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन तथा बीमार उद्योग के पुनर्जीवन के प्रयत्न करने की सारी चर्चाएं मात्र बयानबाजी ही रही हैं।

सरकार को पीने के पानी समेत सार्वजनिक उपयोगताओं और सेवाओं को लाभ की लूट हेतु निजी और विदेशी हाथों में सौंपने से कोई संकोच नहीं है। आज देश में जनवितरण प्रणाली में काफी कुछ करने की जरूरत है किंतु सरकार 'सब्सीडियों को निशाना बनाने' के नाम पर शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में गरीब और बदहाल परिवारों को कुछ राहत पहुंचाने के इस एकमात्र उपाय को और भी कमजोर कर रही है।

बिजली कानून 2003 की समीक्षा के वायदे को पूरा नहीं किया गया है और सरकार ने फरवरी 2005 में एक राष्ट्रीय बिजली नीति की एकतरफा घोषणा की है। राज्य बिजली बोर्डों की अनबंडलिंग, क्रॉस सब्सीडी समेत सब्सीडियों को खत्म करने के नुस्खे जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा से वंचित रहना पड़ता है समय सीमा में कुछ हेर-फेर के साथ ज्यों के त्यों बने हुए हैं।

ग्रामीण भारत, जहां गरीबी, बदहाली, कर्ज का बोझ, भूख से मौतें और आत्म हत्याएं तेजी पकड़ रही हैं, संकट की विकट परिस्थिति पेश करते हैं जो न्याय की पुकार कर रही हैं। भूमि सुधार के सार्थक उपायों को लागू करने की फौरी जरूरत सरकार के एजेण्डा में नहीं है। इसके विपरीत ठेके पर खेती और खेती के निगमीकरण को जोरदार तरीके से अपनाया जा रहा है। कृषि और सिंचाई के लिए जिस सार्वजनिक निवेश के वायदे किये गये हैं उनपर अमल होना बाकी है और गरीब तथा मध्यम किसानों के भारी बहुमत के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध नहीं हैं।

जबकि सरकार मजदूर वर्ग और जनता के दूसरे हिस्सों की हरेक उचित मांग का यह झूठा तर्क देकर प्रतिवाद करने के लिए हमेशा तैयार रही है कि संसाधनों की कमी है, उसमें कर डिफाल्टरों, काले धन, निगमों द्वारा कर बैंकों के ऋण अदा न करने तथा दूसरी वित्तीय संस्थाओं के साथ कड़ाई करने की कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। यह स्तब्ध करने वाली बात है कि हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा 45000 करोड़ रुपये की धनराशि की निष्क्रिय परिसंपत्तियों (ऋण की गैरअदायगी पढ़ें) को बट्टे खाते डाला गया है!

देश की मेहनतकश जनता चौतरफा बर्बादी की ओर जाने वाले रास्ते को सहन नहीं कर सकती।

हम भारत सरकार से अपनी आर्थिक नीतियों की दिशा में तुरंत बदलाव लाने और हमारी मांगों पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं।

समझदारी से काम लिया जाएगा क्या?

यूपीए सरकार इन दिनों उन्हीं लोगों के साथ टकराव के रास्ते पर चल रही है जिन्होंने उसे सत्ता के आसन पर बिठाया था।

राष्ट्रीय सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में जो जन पक्षीय प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई थीं उन्हें फिलहाल ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। एक के बाद एक जन विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं और इस मामले में यह सरकार बहुत तेजी दिखा रही है। यदि हम कहें कि इस चक्कर में एनसीएमपी का निषेध ही कर दिया गया है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। मनमोहन सिंह की सरकार ने खुद को वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन सम्बन्धी कानून के कठोर बंधनों में जकड़ लिया है; उसने प्रत्येक उस मांग पर तिरस्कारपूर्ण रुख अपना रखा है जब उससे जन पक्षीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तथा जन पक्षीय कदम उठाने के लिये संसाधन उपलब्ध कराने को कहा जाता है।

यूपीए सरकार के वित्त मंत्री महोदय यह मान कर बैठे हुए हैं कि सामाजिक क्षेत्र में खर्चा करने के लिये और अधिक संसाधन जुटाना उनका काम नहीं है। करों के सकल उत्पाद की दर गिर चुकी है किन्तु इस पर भी वह इन कामों के लिये संसाधन जुटाने से इन्कार कर देंगे। दाभोल ऊर्जा संयंत्र के विदेशी निवेशकों को उनकी करतूतों के लिये बरी कर देना और जानबूझ कर दिवालिया बनाए गए एनरों को वित्तीय दबाव झेलने जैसी हालत में बने रहने देना तो उनकी प्राथमिकताओं की सूची में है किन्तु सम्भावित जीवनक्षम सार्वजनिक इकाईयों के पुनर्वास के लिये संसाधन उपलब्ध कराने का काम उनके लिये जरूरी नहीं है; इसके लिये उन्हें धन की प्रतीक्षा करनी होगी और यह धन लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों जिन्हें 'नवरत्न' कहा जाता है, का विनिवेश करके जुटाया जाएगा! दाभोल में नयी जान फूंकने के लिये विशेष कदम उठाए जाएंगे; पुण्य के इस काम को अंजाम देने के लिये वह एनटीपीसी, जीएआइएल तथा सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी इकाईयों के साथ जबरदस्ती करेंगे; उनका धन निकाल कर मरणासन्न दाभोल को जीवन दान दिया जाएगा। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने शिक्षा पर सैस के रूप में धन तो इकट्ठा कर लिया है किन्तु प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष कोष का गठन करने का मामला अब भी अधर में लटका हुआ है।

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के मामले को ही लें; यूपीए सरकार ने इस मामले में 'मैं न मानूं' का रुख अपना रखा है; वह कोई तर्क सुनना ही नहीं चाहती और न ही इसका उस पर कोई असर होता है। वामपक्षी दलों ने उसे सदा उपयुक्त विकल्पों का सुझाव दिया है; इसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिये इस पर भी सुधारों के लिये पागलपन की सीमा तक चले जाने वाले महानुभावों तथा मीडिया में उनके समर्थकों की ओर से उन्हें जली कटी सुनाई जाती है। इन विकल्पों को आजमाया क्यों नहीं जाता इस बारे में सरकार ने आज तक एक शब्द भी नहीं कहा है। 'सुधारों का कारवां' सुचारू ढंग से आगे बढ़ता रहे इसके लिये जन साधारण को अपने कंधों पर और अधिक बोझ लादने के लिये तैयार रहना होगा।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष जनाब मोंटेक सिंह आहलुवालिया भी तो एक ऐसे सुधारक हैं; वे कभी थकते ही नहीं। उन्होंने बड़े जोश में आकर घोषणा कर दी, *"आगे से खेती बाड़ी करने के लिये मुफ्त में पानी नहीं दिया जाएगा।'* सामान्य समझ की बात यह है कि सरकार घरेलू बचतों के विशाल धन को देश में बैंकिग प्रणाली के साथ मिल कर निवेशों के रूप में बदल देने का प्रयास कर रही है; किन्तु आहलुवालिया आसान रास्ते पर चलना चाहते हैं। उनका कहना है, *"अपने देश में ही धन जुटाने की कोई जरूरत नहीं जबकि निवेश करने के लिये विश्व बाजार में काफी धन है।"* उनकी अवधारणा है, विश्व को धन लगाने दो; बदले में वे जितना लाभ कमाना चाहें कमा लें; उनके काम में कोई रुकावट न डालो। यदि योजना आयोग के शीष अधिकारी की यह अवधारणा हो सकती है तो और वह इसी तरह की अवधारणा को लेकर भारत के लिये काम करता हो और भारतीय तथा भारत के हितों का बंटाधार करता चला जाता हो, तो निश्चित रूप से यह आश्चर्य का विषय हो सकता है।

यही है जन-विरोधी तथा नैगम घरानों की पक्षधर अवधारणा जो सत्ता की कुर्सियों पर बैठे महानुभावों का मार्गदर्शन करती है; वे *'इंस्पेक्टर राज'* के स्थान पर *'नियामक राज'* कायम करना चाहते हैं। भूमण्डलीय धन्ना सेठों को कोई कठिनाई न हो भले ही हमारे देश की जनता को भीषण कठिनाईयां क्यों न झेलनी पड़ें, अनेक नियामक प्राधिकरणों से इसका रास्ता साफ करने के लिये कहा जा चुका है।

यूपीए सरकार कभी समझदारी से काम लेगी यह मान लेने का कोई कारण नहीं है। लोगों को आगे बढ़ कर सरकार के इस प्रतिगामी दृष्टिकोण का प्रतिकार करना होगा; श्रमिक वर्ग को देश की जनता का नेतृत्व करना होगा; श्रमिक संघों की आयोजन समिति के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 9 जुलाई को किया जा रहा है; सम्मेलन में संघर्ष बिगुल बजा दिया जाएगा; इसमें संदेह नहीं। सीआइटीयू जनरल कौंसिल की बैठक इसी माह अलेपी (केरल) में होने जा रही है; इस बैठक में हमारे कार्यों को ठोस रूप दिया जाएगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्षों को तेज करते चलो!

□

आंगनवाड़ी फैडरेशन ने राज्य सभा समिति के पास याचिका दायर की

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के अखिल भारतीय महासंघ की ओर से पिछले एक दशक से भी अधिक समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की मांगों के लिये आंदोलन चलाया जा रहा है। यद्यपि आंगनवाड़ी महिलाएं इस संघर्ष के फलस्वरूप अपने लिये कुछेक लाभ हासिल कर सकी हैं जैसे उनके अल्प मानदेय में वृद्धि, प्रसूति लाभ, सुपरवाईजरों के रूप में नियुक्ति के अवसर, सामूहिक बीमा इत्यादि किन्तु अब भी उनकी अधिकांश मांगें विशेष तौर पर नियमितीकरण की मांग का समाधान नहीं हो पाया है। महासंघ की ओर से जहां आंगनवाड़ी महिलाओं के संघर्षों को तीखा करने और संयुक्त आंदोलनों का विकास करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं वहीं उसकी ओर से फैसला किया गया है कि उसे इस समय जो भी अवसर उपलब्ध हैं वह इन सबका उपयोग करके वर्तमान शासकों को आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं एवं पीड़ओं की जानकारी देगी। राज्य सभा की याचिका समिति के आगे याचिका दायर करना इसी तरह का एक प्रयास है। राज्य सभा के नियम देश के सभी नागरिकों को अनुमति देते हैं कि वे किसी भी विधेयक के बारे में जो राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया हो अथवा उसके पास लम्बित पड़ा हो अथवा भारत सरकार से सम्बन्ध रखने वाला जन हित के किसी भी मामले पर राज्य सभा के पास अपनी याचिका दायर कर सकते हैं (केवल उन मामलों को छोड़ कर जो अदालतों में विचाराधीन हैं और मौजूदा कानूनों अथवा केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरण के अन्तर्गत उनका समाधान किया जा सकता है)। महासंघ अथवा फैडरेशन ने इस प्रावधान का उपयोग करते हुए राज्य सभा समिति के पास एक याचिका दायर की है जिस पर सीआइटीयू के महासचिव तथा राज्य सभा के सदस्य कामरेड चित्तब्रत मजुमदार ने भी हस्ताक्षर किये हैं। याचिका समिति ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है।

याचिका में बताया गया है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं राष्ट्र के स्वस्थ्य विकास के लिये अनिवार्य हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य बच्चों जो हमारे देश का भविष्य हैं, का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण करना है। गर्भवती तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं की देखभाल भी की जाती है क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य माताओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यह योजना लगभग तीस वर्ष पूर्व शुरू की गई थी; इस योजना के कार्यों की सराहना यूनिसेफ, एनसीईआर, योजना आयोग जैसी संस्थाओं अथवा अभिकरणों की ओर से भी की जा चुकी है; इन संस्थानों ने विचार व्यक्त किया था कि यह भारत सरकार के उन कार्यक्रमों में से एक है जिन पर बहुत अच्छे ढंग से कार्यान्वयन हुआ है। इस पर भी आइसीडीएस एक कार्यक्रम मात्र ही बना रहा है और इस कार्यक्रमों को चलाने वाले प्रमुख लोग अर्थात् आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को सरकार के कर्मचारियों के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। उन्हें अत्यंत अल्प मानदेय का भुगतान किया जाता है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी प्रदान नहीं किये जाते। वृद्धावस्था में उनके जीवन यापन का भी कोई सहारा नहीं होता।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि आइसीडीएस का स्तर बढ़ाने का समय आ गया है और इसे अब मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत चलने वाले महिला एवं बाल विकास विकास विभाग का एक नियमित हिस्सा बना दिया जाना चाहिये; आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में नियमित कर दिया जाना चाहिये। उसमें मांग की गई है कि:

■ आइसीडीएस को मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत एक नियमित विभाग के रूप में बदल कर संस्थागत बना दिया जाना चाहिये।

■ क्षेत्र में बच्चों तथा महिलाओं का समग्र विकास करने के लिये आइसीडीएस की गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से चलाने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी केन्द्रों को विकसित एवं मजबूत बनाया जाना चाहिये।

■ पहले ही बहुआयामी सेवाओं को अंजाम दे रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को विभाग के दर्जा तीन तथा दर्जा चौथा कर्मचारियों के रूप में नियमित कर दिया जाना चाहिये और उन्हें वे सभी सुविधाएं एवं लाभ प्रदान किये जाएं जो उन्हें दिये जाने चाहियें। जब तक यह काम नहीं किया जाता तब तक उन्हें वही वेतन एवं सेवा लाभ प्रदान किये जाएं जो सरकार के तीसरी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिये जाते हैं।

महिलाओं से रात्रि पाली में काम लेने का प्रश्न

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने का फैसला किया है जिसके अन्तर्गत महिलाओं से रात्रि पाली में काम लेने की अनुमति दे दी जाएगी। कुछ श्रेणियां महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा दिये जाने के कदम के रूप में इसका स्वागत कर रही हैं। जो लोग सरकार के इस एकतरफा फैसले का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे महिलाओं के लिये रोजगार को हतोत्साहित किया जाएगा; उल्लेखनीय है कि श्रमिक संघों के नेताओं के साथ श्रम मंत्री की बैठक होने के केवल दो दिन पहले इस तरह का निर्णय लिया गया है। उनके विचारानुसार महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा मिलने का तर्क सच्चाई से कोसों दूर है।

सीआइटीयू ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के इस फैसले का विरोध किया है; उसका शुरू से ही यह रुख रहा है कि लम्बे संघर्षों के फलस्वरूप जो संरक्षणात्मक उपाय किये गए थे उन्हें समाप्त नहीं किया जाना चाहिये; सीआइटीयू ने इस प्रश्न पर सदा दृढ़ रुख अपनाया है। उसने महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिये जाने पर पहले से लगाए गए प्रतिबंध को पूरी तरह खत्म किये जाने का विरोध किया है; उसके अनुसार सरकार ने ऐसा करके महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिये जाने को अनिवार्य बना डाला है। मंत्रिमण्डल का यह फैसला अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिये जाने के प्रश्न पर पारित कन्वेंशन संख्या 89 का उल्लंघन भी है जबकि भारत सरकार ने उस कन्वेंशन की पुष्टि की थी।

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) की ओर से नवम्बर, 2004 में आयोजित कामकाजी महिलाओं के विशाल सम्मेलन ने इस प्रश्न पर पूरी तरह बहस करके अपने उसी रुख को फिर से दोहराया था। सीआइटीयू की ओर से उक्त सम्मेलन की बहस के आधार पर श्रम मंत्री को एक ज्ञापन भेंट किया गया था; उस ज्ञापन में भी इस प्रश्न पर सीआइटीयू के रुख को दोहराया गया था; ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था:

- "महिलाओं से रात्रि पाली में काम लेने पर लगाए गए प्रतिबंध को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाना चाहिये।
- "कामकाजी महिलाओं तथा उनके श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श किये जाने के बाद और उनकी सर्वानुमति बन जाने पर ही कामकाजी महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिये जाने के लिये अनुमति दी जानी चाहिये। जहां पर इसकी नितांत आवश्यकता हो वहां मालिकों अर्थात् सेवायोजकों को चाहिये कि वे सम्बन्धित कामकाजी महिलाओं को उनके घर पहुंचाने के लिये परिवहन सुविधा तथा कार्य स्थलों में शिशु पलना गृह जैसी सुविधाएं प्रदान करें।"
- "गर्भवती महिला को किसी भी हालत में रात्रि पाली में काम करने के लिये न कहा जाए।"

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जैसे महिलाओं के अनेक संगठनों ने भी इस प्रश्न पर इसी प्रकार का रुख अपनाया है; उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कामकाजी महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिये जाने के लिये अनिवार्य प्रावधान किये जाने का घोर विरोध किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि रात्रि पाली में काम करने का प्रश्न महिलाओं की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिये और यदि उनसे रात्रि पाली में काम लिया जाना अनिवार्य हो जाए तो उस हालत में उन्हें रात के समय शिशु पलना गृह, सुरक्षा तथा परिवहन सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराई जाएं।

सरकार ने यह एकतरफा निर्णय न केवल मालिकों अथवा सेवायोजकों अपितु एसईज़ैड/ईपीज़ैड वस्त्र इत्यादि सेक्टरों के संचालकों को खुश करने के लिये लिया है। महिलाओं को अब तक जो थोड़ा बहुत कानूनी संरक्षण मिला था उसे भी 'श्रम कानूनों में सुधार' लाने के नाम पर उनसे छीना जा रहा है; सरकार का यह कदम इसी दिशा में बढ़ाया गया है।

उदारीकरण की नीतियों ने रोजगार की स्थिति को बद से बदतर बना डाला है; कामकाजी महिलाओं पर इन नीतियों की गाज़ विशेष तौर पर गिराई जा रही है। इस पश्ठभूमि में महिलाओं के रोजगार की समस्या को केवल रात्रि पाली में उनसे काम लेने की अनुमति देकर तथा उसे जरूरी बना कर ही सुलझाया जा सकता। अनेक कार्य स्थलों विशेष तौर पर नये उभर रहे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र जिन्हें महिलाओं को रोजगार सुलभ कराने वाले सम्भावित क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है और जहां महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिये जाने की आवश्यकता है, कानखाना अधिनियम के दायरे में ही नहीं आते। सेवायोजकों की श्रेणी और सरकार की भी मुख्य चिंता इस बात को लेकर है कि विशेष आर्थिक अंचलों में महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिये जाने को अनिवार्य बना दिया जाए।

जब तक श्रमिक संघों तथा कामकाजी महिलाओं को इस प्रश्न पर सौदेबाजी करने का अधिकार नहीं दिया जाता; महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिये जाने का फैसला सर्वानुमति से नहीं किया जाता और उनकी 'सुरक्षा' को कानून द्वारा सुनिश्चित नहीं बनाया जाएगा तब तक इस तरह की बातों और दावों को खोखला ही माना जाएगा। उस सरकार से जो श्रम बाजार की तथाकथित लोचनीयता के मंत्र का उच्चारण करते नहीं थकती इस तरह की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं किये जाने की आशा कैसे की जा सकती है। केवल आंदोलन करके ही उसे ये उपाय करने के लिये मजबूर किया जा सकता है। कामकाजी महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिये जाने पर प्रतिबंध को समाप्त करके कामकाजी महिलाओं की चिंताओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। जिन क्षेत्रों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है उन क्षेत्रों को बढ़ाया भी जा सकता है। ■

ट्रेड यूनियन की राष्ट्रीय कन्वेंशन

9 जुलाई 2005

मावलंकर हॉल, नई दिल्ली

द्वारा तय

आंदोलन का कार्यक्रम

20 जुलाई से 20 अगस्त 2005 : राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय सैक्ट्रोरल कन्वेंशन

27 अगस्त से 7 दिसम्बर 2005 : कार्यस्थलों तथा औद्योगिक केंद्रों पर राज्य / जिला स्तरीय प्रदर्शन / रैली तथा धरना

15 सितंबर 2005 : राष्ट्रीय मोबिलाइजेशन दिवस का पालन तथा हड़ताल का नोटिस जारी करना

29 सितंबर 2005 : देशव्यापी आम हड़ताल

हिन्दी गीत (स्त्री शकसीचे)

उठ जाग मेरी बहना । चल साथ मेरे बहना ।।
तु मान मेरा कहना । ये जुल्म नहीं सहना ।।
सुबह सबसे पहले उठना । और झाडू पोछा करना ।।
फिर पानी ढोके भरना । और चूल्हा भी जलाना ।।
गरम चायी बनाओ। श्रीमान को जगाओ।।
बाल बच्चों को समालो। और खाना भी पकाओ।।
ससुर का कहना मानो। शोहर की बात मानो।।
परिवार के भलाई से । खुद सर पे लेके बैठो।।
फिर भी ना कोई इज्जत तुझका । फिर भी ना कोई किमंत तुझको।।
अपमान क्यू सह रही तू । बस चुप क्यू रही तू।।
घर नौकरी ही करती। और पैसा भी कमाती।।
आदमी से कम तरक्की। आदमी से कम मजदूरी।।
तू घर की नौकरानी । ये तेरी जिन्दगानी।।
ये डयूटी सोलह घंटा। फिर भी ना कोई तनका।।
नारी अब जागेगी। ना मर्दी से डरेगी।।
ना सत्ता से दबेगी। हर जुल्मों से लड़ेगी।।
मेहनत कसो से मिलकर। समाज को बदल देगी।।
स्त्री मुक्ती की निशानी। हाथों में थामेगी।।

सौजन्यः– सुशीला राहुल भगत (आंगनवाड़ी वर्कर)
मु0 पो0 आलापल्ली ग्रम पंचायत भवन

मांगें

इन मांगों को तुरंत मनवाने पर जोर डालने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशनों / यूनियनों की यह अखिल भारतीय कन्वेंशन मजदूरों, चाहे उनकी सम्बद्धता कुछ भी हो, का आह्वान करती है कि निम्नलिखित के अनुसार देशभर में संयुक्त रूप से कार्रवाई कार्यक्रम को लागू करें।

1. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और खेतमजदूरों के लिए पर्याप्त सरकारी धन और प्रभावशाली मॉनीटरिंग प्रणाली के साथ सेवाशर्तों और सामाजिक सुरक्षा पर व्यापक कानून लागू करना।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक में उपयुक्त संशोधन / परिवर्तन करना ताकि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किये गये वायदे के अनुकूल एक समय सीमा के भीतर ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी सुनिश्चित की जा सके।
3. श्रम शक्ति के डाउन साइजिंग के कदमों को रोकना तथा भर्ती से प्रतिबंध उठाना; ठेकेदारीकरण पर रोक लगाना।
4. निरीक्षण और श्रम कानूनों को लागू करवाने वाली मशीनरी को मजबूत करना ताकि एसईजेड्स और ईपीजेड्स समेत सभी क्षेत्रों में वैध न्यूनतम मजदूरी समेत सभी कानूनों को सख्ती के साथ लागू कराना सुनिश्चित किया जा सके; लचीलेपन के नाम पर श्रम कानूनों में सेवायोजक समर्थक कोई परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिएं।
5. काम के जगह पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून बनाना और अत्याचारों के खिलाफ महिलाओं को पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
6. राष्ट्रीयकृत बैंकों, टेलीकॉम, गोदी और बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन आदि समेत लाभ कमाने वाली और रणनीतिक क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के निजीकरण और विनिवेश पर रोक लगाना; रक्षा उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण न करना।
7. बीमार / घाटा करने वाली किंतु पर्याप्त जीवन क्षमता वाली, सार्वजनिक इकाइयों के पुनर्उत्थान के लिए फौरी उपाय करना।
8. टेलीकॉम क्षेत्र में एफडीआइ सीमा को बढ़ाने और प्रतिरक्षा क्षेत्र में एफडीआइ की इजाजत देने के कदमों को वापस लेना; बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में एफडीआइ की सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव को त्यागना; कोयला, खुदरा और पेंशन क्षेत्रों में एफडीआइ को इजाजत देने पर रोक लगाना; बैंकिंग रैगुलेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कानूनों पर संशोधन विधेयकों को वापस लेना।
9. बिजली कानून 2003 और राष्ट्रीय बिजली नीति (3 फरवरी 2005 को घोषित) की समीक्षा करना; क्रॉस-सब्सीडाइजेशन के खिलाफ और राज्य विद्युत बोर्डों की अनबंडलिंग और निजीकरण पर प्रावधानों को रद्द करना; ग्रामीण-शहरी विभाजन को खत्म करना; ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र और शहरी कमजोर हिस्सों को आपूर्ति सुनिश्चित करना।
10. सरकारी सेवाओं सहित सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए हड़ताल का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कानूनी उपाय करना। संगठन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी करने के निर्बाध अधिकार सुनिश्चित करना।
11. सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग का गठन करना।
12. बोनस भुगतान कानून में पात्रता और गणना पर सीमाओं को हटाना।
13. ईपीएफ, जीपीएफ, सीएमपीएफ, पीपीएफ तथा लघु बचत साधनों पर ब्याज की प्रशासनिक दर में बढ़ोतरी करके ब्याज दर बढ़ाना; नई पेंशन योजना तथा पीएफआरडीए विधेयक रद्द करना; सरकारी सेवाओं में नये भर्ती हुए लोगों के लिए 2004 से पहले की पेंशन योजना बहाल करना।
14. भूमि सुधार लागू करो और सिंचाई सुविधाओं के लिए सार्वजनिक निवेश प्रदान करो।
15. जनवितरण प्रणाली को मजबूत करो।
16. निगमों और बड़ी व्यापारी लॉबी में डिफाल्टरों से एनपीएज और बिना अदा किये गये बकायों की रिकवरी के लिए सख्त उपाय करना।

के हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए-13, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली -2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित